

पशुपालन निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।

“कार्यालय आदेश”

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा-16 में निहित प्राविधानों के अनुसार विभागाध्यक्ष स्तर से किये जाने वाले स्थानान्तरण हेतु गठित स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के अनुरूप शासनादेश संख्या 124/XXX-2-22-30(13)2017 दिनांक 08 अप्रैल, 2022 एवं शासनादेश दिनांक 30 जून, 2022 के क्रम में स्थानान्तरण सत्र 2022-23 में पशुपालन विभाग, उत्तराखण्ड के अन्तर्गत मुख्य प्रसार अधिकारी के पदों पर कार्यरत निम्नलिखित कार्मिकों को अनिवार्य/अनुरोध के आधार पर उनके नाम के सम्मुख कॉलम-4 में वर्णित नवीन तैनाती स्थान पर स्थानान्तरित किया जाता है :-

अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरण

क्र० सं०	कार्मिक का नाम व पदनाम	वर्तमान तैनाती स्थान	नवीन तैनाती स्थान	अभ्युक्ति
1	श्री गोविन्द सिंह राणा, मुख्य प्रसार अधिकारी	कार्यालय मुख्य पशुचिकित्सा अधिकारी, चमोली	कार्यालय मुख्य पशुचिकित्सा अधिकारी, उत्तरकाशी	अनुरोध के आधार पर

अनिवार्य स्थानान्तरण (दुर्गम से सुगम)

क्र० सं०	कार्मिक का नाम व पदनाम	वर्तमान तैनाती स्थान	नवीन तैनाती स्थान	अभ्युक्ति
1	श्री आनन्द सिंह कटैत, मुख्य प्रसार अधिकारी	कार्यालय मुख्य पशुचिकित्सा अधिकारी, रुद्रप्रयाग	कार्यालय मुख्य पशुचिकित्सा अधिकारी, देहरादून	जनहित

2. उपरोक्तानुसार स्थानान्तरित कार्मिकों को निर्देशित किया जाता है कि वे वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 एवं उक्त शासनादेश दिनांक 08 अप्रैल, 2022 के प्राविधानानुसार अपने वर्तमान तैनाती स्थान से नियमानुसार कार्यमुक्त होकर ससमय नवीन तैनाती के स्थान पर योगदान करना सुनिश्चित करें।

3. जनहित में किये गये स्थानान्तरण हेतु स्थानान्तरित कार्मिक नियमानुसार स्थानान्तरण भत्ते हेतु अर्ह होंगे तथा अनुरोध के आधार पर किये गये स्थानान्तरण हेतु स्थानान्तरित कार्मिक स्थानान्तरण भत्ते हेतु अर्ह नहीं होंगे।

(डा० प्रेम कुमार)
निदेशक।

संख्या: 1793 /स्था०एक/मु०प्र०अ०(स्थाना०)/2022-23

दिनांक 07 जुलाई, 2022

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, उत्तराखण्ड, कौलागढ़, देहरादून।
2. निजी सचिव, सचिव, पशुपालन, उत्तराखण्ड शासन को सचिव, महोदय के संज्ञानार्थ प्रेषित।
3. अपर निदेशक, पशुपालन विभाग, गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
4. सम्बन्धित मुख्य पशुचिकित्सा अधिकारी, उत्तराखण्ड।
5. सम्बन्धित कोषाधिकारी।
6. सम्बन्धित कार्मिकों को अनुपालनार्थ।

(डा० प्रेम कुमार)
निदेशक।